न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 175/2007

चिरंजीलाल पुजारी दत्तक पुत्र श्री महन्त बालदास मंदिर बालाजी महाराज दूधिया कुआ दौलराम निवासी माली मोहल्ला बाजाली कंदिर के पास किश्चयनगंज अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. आयुक्त नगर परिषद अजमेर
3. तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 956

आदेश दिनांक 05.12.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि खेत खसरा नम्बर 3094 खाता संख्या 1202, 1202/1 की आराजी 1.08 बीधा मंदिर की बालाजी महाराज वाके दुधिया मोहतमीम बालदास वल्द किशनदास कौम साधु साकिन अजमेर के माफीदार में दर्ज थी जिसका इन्द्राज खेवट मौजा अजमेर मालियान में फसली सन 1349 तथा फसली सन्1360–1361 में दर्ज कागजात पास है। उक्त आराजी शुरू से ही मंदिर की आराजी रही है और इस पर काश्त मंदिर की ओरसे की जाती रही है सन 1349 व 1360–61 के समय कमेटी केसरगंज बिस्वेदार दर्ज थ मदिर श्री बालाजी महाराज माफीदार दर्ज था। मंदिर श्री बालाजी महाराज वाके दूधिया की भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा परिवर्तन करते हुए उक्त मंदिर की आराजी को म्यूनिसिपल कमेटी अजमेर के नाम दर्ज कर दी गई जबकि सेटलमेन्ट विभाग को रिकार्ड में परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था। राज्य सरकार के आदेशानुसार मंदिर की भूमि को किसी अन्य के नाम दर्ज नही की जा सकती है इसलिए भी उक्त आराजी को पुनः मंदिर श्री बालाजी महाराज के नाम दर्ज किया जाना चाहिए । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः मंदिर श्री बालाजी महाराज वाकै दुधिया के नाम दर्ज कागजात माल करने के आदेश प्रदान करे ।

अप्रार्थी 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि मंदिर श्री बालाजी महाराज के नाम दर्ज नही थी । उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 है। उक्त आराजी पर कभी भी मंदिर का कब्जा काश्त

Scanned by CamScanner

नही रहा है। खसरा गिरदावरी में भी काश्त करना नही बताया है। प्रार्थी द्वारा कोई गिरदावरी रिपोर्ट पेश नही करी है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि को म्यूनिसिपल कमेटी अजमेर के नाम सही रूप से दर्ज की है क्योंकि उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1 का ही चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ही उक्त भूमि के मालिक व स्वामी है। उक्त भूमि मंदिर की नही है उक्त भूमि नगर निगम अजमेर की भूमि है। जिसे मंदिर के नाम नही की जा सकती है। मंदिर का कब्जा काश्त कभी भी उक्त भूमि पर नही रहा है। उक्त भूमि नगर निगम अजमेर की है। उक्त वाद में प्रार्थी ने सरकार को पक्षकार बनाया है जिसके लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस अनिवार्य है और परिस्थितिवश उक्त नोटिस की पालना ही की जाती है तो उससे छूट के लिए धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रार्थी ने उक्त नियम की पालना ना कर प्रार्थना पत्र पेश नही किया है जिस कारण भी प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है। नगर निगम अजमेर को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 304 नगर पालिका अधिनियम के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है जो प्रार्थी ने उक्त नोटिस निगम को नही दिया है एवं ना ही धारा 304 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । जिसके अभाव में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अप्रार्थी की और से राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही हाने से प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । फसली जमाबंदी 1349 जमाबंदी सवंत 2018–21 एवं 2022–25 में किए गए इन्द्राज के अनुसार विवादित भूमि म्यूनिसपल कमेटी अजमेर के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रार्थी का प्रकरण धारा 136राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधी में आता हो इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी,अजमेर

Scanned by CamScanner